ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3914 / 12-1(2) दिनांक 31/05/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

विषय– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्यार्क–बरसूड़ी–भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019**

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–1222/13सी0 दिनांक 20.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0सी0/773 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा वांछित 04 बिन्दुओं की सूचना आप द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई–

1. बिन्दु संख्या–1 के निराकरण वाले कॉलम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश का उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश की प्रति (संलग्नक संख्या अंकित करते हुये) संलग्न नहीं की गई है।

2. बिन्दु संख्या–2 के निराकरण वाले कॉलम में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि KML file पर लाभान्वित ग्राम को चिन्हित कर संशोधित KML file कहां अपलोड/संलग्न की गई है?

3. बिन्दु संख्या–3 में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वैकल्पिक संरेखणों का पूर्ण विवरण (वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्क विवरण एवं निरस्त किये जाने का कारण) उपलब्ध करायें। आप द्वारा उक्त बिन्दु के निराकरण वाले कॉलम में अंकित किया गया है कि–**I** पहले संरेखण को हरे रंग, दूसरे को काले रंग एवं तीसरे को नीले रंग से डिजिटल/टोपोशीट मैप एवं के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर दिया गया है तथा **II** पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में कुल दो संरेखण (1 चयनित एवं 2 वैकल्पिक) अंकित किये गये है। स्थिति स्पष्ट करते हुये प्रमाण पत्र में पूर्ण विवरण/संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

4. बिन्दु संख्या–4 में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं मक डम्पिंग हेतु वन भूमि को कम करते हुये गैर वन भूमि का चयन किया जाय। आप द्वारा उक्त बिन्दु के अनुपालन में एक मक डम्पिंग स्थल गैर वन भूमि में चयन किया गया है तथा पूर्व में चयनित वन भूमि को कम/संशोधित नहीं किया गया है और न वन भूमि पर कम से कम मक डम्पिंग किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. परिवेश पोर्टल के Additional information Details में अपलोड किये गये प्रपत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि (कवर पेज, फैक्स शीट, प्रतिवेदन क्र.सं.–8, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट क्र.सं.–18, विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण क्र.सं.–35 आदि) पूर्व में अपलोड किये गये प्रपत्रों को परिवेश पोर्टल से डिलीट नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रपत्रों को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्रों को अपलोड किया जाय।
6. परिवेश पोर्टल के Additional information Details में एन0पी0वी0 से संबंधित प्रमाण पत्र क्र.सं.–22, 27 एवं 62 तीन क्रमांकों पर अपलोड किये गये हैं जो कि Corrupt हो चुके हैं अर्थात् प्रपत्र खुल नहीं रहे हैं। अतः उक्त क्रमांकों पर अपलोड किये गये प्रपत्रों को डिलीट कर एन0पी0वी0 से संबंधित संशोधित प्रमाण पत्रों को पुनः अपलोड किया जाय।

7. उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के उक्त पत्र से लगाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु संशोधित प्रपत्रों पर संलग्नकों का क्रम अंकित करते हुये प्रपत्रों को सही क्रम में संलग्न नहीं किया गया है और न ही निराकरण वाले कॉलम में संलग्नक उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त कमियों का पूर्ण निराकरण करते हुये तथा **पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों को अपने स्तर से भली भांति जांच करने के पश्चात् भारत सरकार के उक्त पत्र से लगी आपत्तियों का बिन्दुवार उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें**, तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी। सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों को इस कार्यालय की मानचित्रकार शाख्या से प्राप्त कर उपरोक्तानुसार संशोधनोपरान्त मूल सहित पांच प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।